489
20/9/12

खण्ड : 2 संख्या : 8,9,10

दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वितीय सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 9 जुलाई 1990 ई०
मंगलवार, दिनांक : 10 जुलाई 1990 ई०
बुधवार, दिनांक : 11 जुलाई 1990 ई०

कम्युनिष्ट नेतागण अनिश्चितकालीन अनशन पर एवं 15 जुलाई से पुलिस एसोसिएशन सामुहिक अवकाश लेंगे ।

अतः सरकार हत्यारे को गिरफ्तार करें तथा श्री त्रिपाठी पुलिस निरीक्षक तबादला रोके ।

(थ) पुल की मरम्मती ।

श्री विजय शंकर पाण्डेय : रोहतास जिलान्तर्गत भभुआ चैनपुर पथ पर सुधरा नदी पर पुल बना है । उसकी स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गयी है । इस पथ पर चलना खतरे से खाली नहीं है । यह पुल किसी दिन ध्वस्त हो सकता है जिसके चलते भयंकर दुर्घटना हो सकती है । लोगों की जाने जा सकती है । अतः मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उस पुल के मरम्मत की व्यवस्था शीघ्र करवाई जाय क्योंकि यह पुल उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों प्रदेशों को जोड़ता हैं

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी से बाघमेरा वाला का जबाव दिलवा दीजिए ।

श्री लालू प्रसाद : मैंने पांच बजे के बाद आज जबाव देने के लिए कहा था लेकिन डी.एन.झा. की मृत्यु हो गयी है उसमें हमकों बर्निग घाट जाना है, थोड़ी देर के बाद । इसलिये इसको कल पांच बजे के बाद रखा जाय ।

अत्यावश्यक ध्यानाकर्षण-सूचना पर
सरकारी वक्तव्य :

श्री राम बिलास सिंह : यह सत्य से बिल्कुल परे है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रूनी सैदपुर प्रखंड में बड़े पैमाने

पर कमजोर हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के दर रैयतों पर वहां के भू-स्वामी रामसकल सिंह ग्राम रसलपुर द्वारा उप-समाहर्त्ता प्रभारी भूमि सुधार सीतामढ़ी पश्चिम की मिली-भगत से बेदखल करने का षडयंत्र किया जा रहा है ।

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 48 ई. के अन्तर्गत बटाईदारी संबंधी बाद का निष्पादन उप-समाहर्त्ता प्रभारी भूमि सुधार द्वारा किया जाता हैं । क्योंकि भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता को इसके लिये समाहर्त्ता की शक्ति सरकार से प्रदत्त है । उक्त प्रदत शक्ति के आलोक में भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता प्रथम द्रष्टवयों में बंटाईदारी मामला बनता है या नहीं इसकी जांच करेंगे ।

भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता द्वारा धारा 48 ई. की उपधारा-8 के अधीन जो आदेश पारित किया जाता है वही आदेश अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत योग्य होगा ।

जहां तक बटाईदारी बाद में पारित आदेश का संबंध है, उप-समाहर्त्ता प्रभारी भूमि सुधार द्वारा इसे धारा 48 ई के अन्तर्गत प्रथम द्रष्टव्य मामला नहीं पाने के कारण बटाईदारी दावों को अस्वीकृत कर दिया गया ।

अगर समाहर्त्ता ने भी अपने न्यायालय में चल रहे बटाईदारी अपील को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण बटाईदारी अपील दावों को अस्वीकृत कर दिया ।

पूर्व में जिन भूमि सुधार उप-समाहर्त्ताओं द्वारा यह आदेश पारित किया गया है उनका स्थानान्तरण बहुत पूर्व हो

चुका है । उप-समाहर्त्ता भूमि सुधार के न्यायालय में सुनवाई के पश्चात् पारित आदेश पर पुनः जांच बैधिक नहीं होगा ।

डा. शकील अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूं । पहला दो बेंच जो होता है, वह ट्रेजरी बेंच होता है इसलिए इनको कहिए की ये अपने सीट पर जायें या पहला दो बेंच छोड़कर चल जायें क्योंकि अगला दो बेंच ट्रेजरी बेंच कहलाता है । उनसे कहा जाय कि वे उससे पिछले वाले सीट पर चल जायें ।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चहता हूं कि भूधारी श्री रामशकल सिंह के पास कुल कितनी जमीन है । क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

श्री राम विलास सिंह : यह प्रश्न इसके संबंधित नहीं है । ये सूचना दे दें तो हम उसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री महेन्द्र झा आजाद : हुजूर, मंत्री जी का उत्तर संतोषप्रद है ।

अध्यक्ष : झा जी आप पहली बार, सरकार के उत्तर से संतुष्ट नजर आते हैं ।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से सरकार से जानना चाहता हूं कि उक्त भूधारी श्री रामसकल सिंह के पास कुल कितनी नामी और बेनामी जमीन है । क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री राम विलास सिंह : माननीय सदस्य इसकी सूचना दे दें तो हम पूरे तौर से जिससे कहें हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे ।

श्री हिन्द केशरी यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जांच करने की बात करते हैं । ये सब बात इसी तरह से टालते है । इनको टालने की आदत हो गयी है । इस संबंध में उनको जानकारी है कि उक्त भूधारी के पास नामी और बेनामी कुल कितनी जमीन है और उस जमीन में से कितनी जमीन सरकार ने गरीबों के बीच बांटी है और कितनी जमीन पर गरीब बसे हुए है और कितनी जमीन पर से गरीब बेदखल कर दिए गये ?

अध्यक्ष : ये सरकार से पूछे रहे हैं कि उनके पास कितनी नामी और कितनी बेनामी जमीन है और उसमें से कितने को बाटा गया है । सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं है अगर सरकार को जानकारी है तो जानकारी दें दीजिए । सरकार को जानकारी नहीं है तो यह कह दीजिए कि जानकारी प्राप्त कर लेंगे ।

श्री राम विलास सिंह : इनकी सूचना को सरकार ग्रहण करती है जितने भी बिन्दु है उसकी जांच के लिए ये सूचना दे देंगे तो उसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से बेदखली का मामला है, जिसमें उप-समाहर्त्ता

भूमि सुधार पूर्ण रूप से गहरी साजिश के तहत दोषी हैं। भूधारी की जमीन जो गरीबों के बीच दी गयी है जिसे दखल कब्जा दिलाया गया हैं उसे साजिश के तहत उप-समाहर्त्ता से मिलकर उन गरीबों को जमीन से बेदखल कर रहे है। ध्यानाकर्षण में उन गरीबों का नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया हैं वे हैं- श्री जगदीश बैठा, महेन्द्र राय, विलास चौधरी, मुनेश्वर चौधरी, राम सूरत चौधरी, राम प्रकाश मुखिया, रामचरण राय एवं चुल्हाई दास बगैरह को उक्त भूस्वामी के साजिश के तहत षडयंत्र में आकर उक्त भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता ने मिलकर उन सारे लोगों के बेदखली आवेदन को यह कहकर के खारिज कर दिया कि यह प्राईमाफेसी केस नहीं बनता है। क्या सरकार को जानकारी है कि प्राईमाफेसी केस का निर्णय किस आधार पर होता है।

श्री राम विलास सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि षडयंत्र करके कमजोर लोगों को बेदखल किया जा रहा है। प्राइमाफेसी केस होता है जब कोई घर-दरवाजा हो, डोक्यूमेंट होगा, कुछ कागज होगा तब न उनका पक्ष आयेगा। कोर्ट में कोई गवाह देने नहीं आया, कोई डोक्यूमेंट नहीं मिला है, इसलिए धारा 48 सी. के अनुसार प्राइमाफेसी केस स्टेबलीस नहीं होगा। उप समाहर्त्ता के पास वे लोग गये, वहां भी खारिज हो गया। हम बार-बार कहते रहे हैं कि सीलिंग ऐक्ट से ज्यादा जमीन होगी तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं।

अध्यक्ष : अब सदन की बैठक दो बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

अन्तराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री इन्दर सिंह नामधारी ने सभापति महोदय का आसन ग्रहण किया)

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है, व्यवस्था का सवाल यह है कि....

श्री हिन्द केशरी यादव : सभापति महोदय, अन्तराल के पहले मेरा ध्यानाकर्षण चल रहा था । वह कन्टीन्यू रहेगा या नहीं ?

सभापति : अभी मैं वित्तीय कार्य लेता हूं ।

श्री हिन्द केशरी यादव : मेरे प्रश्न पर आज अपनी व्यवस्था दीजिए ।

सभापति : जब ध्यानाकर्षण लिया जायेगा तो उसमें आपका भी होगा ।

श्री युगेश्वर झा : सभापति महोदय, कब लिया जायेगा ?

सभापति : वित्तीय कार्य के बाद ।

वित्तीय कार्य : वित्तीय कार्य 1990-91 के आय-व्ययक में सम्मलित अनुदानों की मांगों (खंड-1 विद्युत एवं शहरी विकास) पर मतदान :

श्री जगदानन्द सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

'विद्युत' के संबंध में 31 मार्च 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 3,79,08,50,000 (तीन अरब उनासी करोड़, आठ लाख, पचास हज़ार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

सभापति : सर्व श्री राजो सिंह, हरिहर नारायण प्रभाकर, राम जतन सिन्हा, कुमुद रंजन झा, युगेश्वर झा, रघुवंश प्रसाद सिंह का कटौती प्रस्ताव है । माननीय सदस्य श्री राजो सिंह कटौती प्रस्ताव प्रुभ करें ।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

'इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय ।'

राज्य सरकार की विद्युत नीति पर विचार-विमर्श करने के लिये ।

सभापति महोदय, मेरे बदले माननीय सदस्य श्री विलट पासवान विहंगम भाषण देंगे ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है । माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने कटौती

प्रस्ताव मुभ किया है तो वे अपनी बात रखेंगे और अगर वे अपनी बात नहीं रखना चाहते हैं तो उनको अनुपस्थित होना चाहिए था, तब दूसरे माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखते, यह पहले भी हो चुका है । श्री शिवचन्द्र झा जब अध्यक्ष थे तो उनकी रूलींग भी हुयी थी....

(इस अवसर पर सदन में बिजली गुल)

(इस अवसर पर कांग्रेस ई के माननीय सदस्य का एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

सभापति : शांति, सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें ।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा पुराने सदस्य हैं, इन्होंने जो प्रश्न उठाया है वह तर्कहीन नहीं है । बराबर परम्परा रहती थी कि कांग्रेस के लोग सरकार में थे बांकि सारे दल विपक्ष में थे । इसलिए जब कटौती का प्रस्ताव होता था, दो-चार माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखते थे, सभी दलों के सदस्यों को, हर पार्टी के सदस्यों को बोलने का मौका मिलें, इसलिए विरोधी पार्टी के लोग अपने में नाम बांट लेते थे कि प्रस्ताव कौन रखेंगे और कौन बोलेंगे । शुरू में ऐसा निर्णय वे लोग ले लेते थे और उसके अनुसार कार्य चलता था लेकिन संयोगवश कहें, सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश कहें, आज विपक्ष में कांग्रेस (ई) के अलावे आई.पी.एफ. के माननीय सदस्य विपक्ष में

बैठे हैं बकिये और कोई नहीं । अधिकांश सदस्य विपक्ष में कांग्रेस (ई) के हैं, इसलिए कटौती प्रस्ताव हमलोगों ने दिया है और अपने में नाम का बंटवारा कर लिया है । माननीय सदस्य श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा जी का कहना सभंवतः ठीक हो लेकिन बहस में ज्यादा लोग भाग ले सकें, इसलिए नाम का बंटवारा हमलोगों ने किया है । इसलिए इसपर अब बहस शुरू करायें ।

(इस अवसर पर सदन में बिजली गुल था)

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह : सभापति महोदय, बिजली नहीं है, इसलिए हाऊस को एडजौर्न कर दिया जाय, कार्यवाही बन्द होनी चाहिए, क्योंकि कोई बात टेप नहीं हो रहा है, रिपोर्ट लोगों को भी लिखने में दिक्कत हो रही है ।

***श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा** : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य राजो बाबू ने जिन बिन्दुओं को रखा....

(सदन में बिजली गुल हो गई)

(इस अवसर पर कांग्रेस-आई के सभी माननीय सदस्य एक साथ नारे लगाने लगे कि यह सरकार निकम्मी है और सदन से वाक-आउट कर गये)

सभापति : सभा की कार्यवाही अभी 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है ।

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(इस अवसर पर कॉंग्रेस-आई के सभी माननीय सदस्य नारे लगा रहे थे कि 'विधान सभा में बिजली नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं')

अध्यक्ष : शांति-शांति । आप अपने सीट पर बैठ जायें ।

(शोरगुल)

***श्री लालमुनि चौबे** : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और व्यवस्था है कि अभीतक इस सदन में आज जैसा माहौल कभी पैदा नहीं हुआ, बिजली कट गई, बिजली काट दी गई और बिजली कटने के बाद साढ़े सात करोड़ बिहारवासियों के प्रतिनिधियों का जुबान पर ताला लग गया । क्या हड़ताली इस तरह से बिजली काट सकते हैं ?

अध्यक्ष : शांति-शांति आप बैठ जायें ।

***डा. जगन्नाथ मिश्र** : जो हालात बिजली के संबंध में रही है कि चार घंटे से, तीन घंटे से सदन के सभी लोग इसके बिना हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं इसलिए विद्युत की प्रॉग के संबंध में बहस करने का क्या औचित्य है हम महसूस करते हैं कि बिहार सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हो रही है इसलिए सरकार की मांग पास कराने का कोई औचित्य नहीं है और औचित्य इसलिए भी नहीं है कि

बिहार सरकार विधान सभा में बिजली की आपूर्ति नहीं कर सकी और इसपर बहस नहीं करा सकी, इसके चलते हम अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सके । सारी जनता त्राहि--त्राहि कर रही है, ऐसी परिस्थिति में हमलोग सदन का बहिस्कार करते हैं ।

(इस अवसर पर कांग्रेस-आई के सभी माननीय सदस्य सदन का बहिस्कार किये)

***श्री लालू प्रसाद :** अध्यक्ष महोदय, अभी जो बिजली की स्थिति हुई है वह हड़तालियों की वजह से नहीं हुई है । हर जगह बिजली का उत्पादन है । सभी जगह, आपके कक्ष में मेरे कक्ष में तथा अन्य जगहों पर बिजली चल रही है । बिजली बोर्ड के एक दूसरे मेम्बर को बुलाकर इसकी व्यवस्था ठीक कराई जा रही है । सस्ती लोकप्रियता के लिए नेता विरोधी दल और कांग्रेस के लोग सदन का बहिष्कार किये हैं । मैं समझता हूं कि इसके प्रभारी भी टी.एन.झा हैं, सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके विरूद्ध करेगी और इनसाइड का सिस्टम ठीक कराया जा रहा है । मैं सदन में आश्वस्त करता हूं कि श्री झा के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ।

(शोरगुल)

***श्री रमेन्द्र कुमार :** अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ने अभी सदन में घोषणा की है कि श्री झा के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री

ने जरूर जांच की है तथा उस जांच में यह बात आ गई है कि श्री झा के चलते बिजली बाधित हुई है ।

सख्त से सख्त कार्रवाई संविधान की आर्टिकल 311 (2) बी. के अन्तर्गत बिना इन्कवायरी किए हुए डिसमिस करने की कार्रवाई करेगी । क्योंकि बिहार में इस तरह की घटना घट रही है तो क्या सरकार संविधान के आर्टिकल 311 (2) बी. के अन्तर्गत बिना शो-काउंज किए हुए डिसमिस करेगी या चार्जशीट करेगी और उन्हें ससपेन्ड करेगी, क्या करेगी सरकार को साफ-साफ बतलाना चाहिए ।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, जबसे सत्र शुरू हुआ है तब से इस तरह की कार्रवाई विधान-सभा के अन्दर हो रही है, यह एक साजिश के तहत है । हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह पूरी जानकारी ले इसकी जांच कराये और जो लोग इसमें दोषी हैं उनपर कार्रवाई की जाय ।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न है कि जबसे यह सत्र चल रहा है, आये दिन यह बिजली की घटना घट रही है, आज तो हद ही हो गया है, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि जो श्री झा है उनपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे । हम मुख्य मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो एरिया के जेनरल मैनेजर, उसमें इनका भी दोष है या नहीं, अगर वे भी दोषी है तो उनपर भी कार्रवाई करनी चाहिए, मुख्य मंत्री उनपर भी कार्रवाई करना चाहेंगे या नहीं ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि कोई वैकल्पिे व्यवस्था विधान-सभा में जैनरेटर की करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना न हो ।

अध्यक्ष : आज ही इसकी व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री जगदानन्द सिंह : आज जो अभी बहस चलने वाली है, हम अनुरोध करेंगे कि इसपर बहस हो, मैं अपने उत्तर में एक एक बात को स्पष्ट रूप से बतला दूंगा, जो सदन की जानकारी के लिए जरूरी है, इसलिए समय बर्बाद नहीं करें, सार्थक बहस हो सकती इससे सबों को फायदा होगा, इसलिए बहस चलाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय दी जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । समय हमारे पास 50 मिनट का है, इसी में माननीय मंत्री का जवाब भी होगा और वोट भी कराना है । पांच-पांच मिनट पर मेम्बर बोल लें, तो हर दल के लोगों का जो नाम मेरे पास आया है, उन्हें बोलने का मौका मिल जायेगा ।

श्री रामदेव वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया कि विद्युत की गड़बड़ी की एक सुनियोजित योजना के तहत ऐसा किया जा रहा हैं । क्या सरकार 25 तारीख को जो हमारे बिहार में संकट हुआ था, उसमें भी कॉन्सप्रेसी है और उसके आधार पर भी जांच करके कार्रवाई सरकार करेगी ?

अध्यक्ष : सरकार अपने उत्तर में इस प्वाइंट को भी देखेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, 3 अरब, 71 करोड़ रुपये की जो मांग है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में 3 अरब 71 करोड़ रुपए बहुत कम है क्योंकि हमारी राय में उत्पादन में एक अरब 78 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और अभी जो लोग बाहर चले गये हैं, उनलोगों ने एक अरब 70 करोड़ रुपए का कर्जा इस सरकार के माथे चढ़ाकर बाहर गये हैं । आज विद्युत बोर्ड पर अन्य विद्युत बोर्ड का 43 करोड़ रुपए का ऋण है । हमारी क्षमता 1492 मेगावाट की है जिसमें हम 400 मेगावाट से अधिक का उत्पादन आज तक नहीं कर पाये हैं । अध्यक्ष महोदय अभी तक जो बिजली की जो सप्लाई है और जो हमारा उत्पादन है उसमें भारी असमानता है । जितने गांवों को हम ऊर्जान्वित घोषित कर चुके हैं । लगभग मुझे जैसा ज्ञात हुआ है 58 प्रतिशत बिहार की आबादी ऊर्जान्वित घोषित कर चुके हैं लेकिन जिन गांवों को हम ऊर्जान्वित घोषित किए हैं वहां, खम्भा है तो तार नहीं है, कहीं ट्रान्सफरमर है तो लाईन नहीं है लेकिन आज सभी जगह एक साथ हर गांव, हर पंचायत, हर शहर में एक बिजली की सप्लाई करें तो कम से कम हमारी मांग 1200 मेगावाट बिजली की होगी । भारत सरकार ने जो समय-समय पर सर्वे कराया है, उसके 11वां प्रतिवेदन में जो सर्वे है उसके अनुसार जरूरत है बिहार को 1398 मेगावाट बिजली

की, यह 11वें प्रतिवेदन में हैं, जो 13वां प्रतिवेदन है उसमें इस घटाकर 1100 मेगावाट दिखलाया गया है । इसमें भी मेरी समझ से भारी विरोधाभास है । जिसे हमलोगों को अपने स्तर से सर्वे कराकर देखना चाहिए । जहां तक हमारा अपना अनुभव है जो बिहार सरकार की विद्युत विभाग है जो विशेषज्ञों की रिपोर्ट दी गयी है, उसके अनुसार अभी जो जरूरत है, 1200 मेगावाट बिजली से कम से हमारा काम चलने को नहीं है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दूंगा कि केन्द्र में अपनी सरकार है मुख्य मंत्री प्रयास करें कि अधिक से अधिक यहां विद्युत उत्पादन के लिए थर्मल पावर प्लान्ट बैठाया जाय । बिहार में कोयला की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो पिछली सरकार की गलतियों की वजह से यह दु:ख हमलोग भोग रहे हैं । पिछले दो योजनाओं को छोड़कर बिहार में थर्मल पावर या पावर स्टेशन बैठाने के लिए किसी ने विचार नहीं किया । 1977 में हमारी सरकार बनी तो हमने कांटी में थर्मल पावर बिहार को दिया, हमलोगों ने कांटी में थर्मल पावर बनाया जहां पर यह बनाना हमारी भारी भूल थी, स्थल चयन उत्तर बिहार में किया गया अध्यक्ष महोदय, सिर्फ कोयला की ढुलाई में कोल फिल्ड एरिया से दूर रहने की वजह से हमको लगभग कांटी थर्मल पावर स्टेशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए रेलवे को देना पड़ता है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय और मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि बड़े-बड़े थर्मल पावर स्टेशन के लगाने में अरबों रुपये लगते हैं और उसको पूरा करने में भी

चार-पांच साल का समय भी लगता है । 50-50 मेगावाट के बीस थर्मल पावर स्टेशन आज दक्षिण बिहार के हर जिलों में लगाया जाये । तथा उत्तर बिहार में डीजल सेट्स लगाये जायें । मैं इसलिये कहा रहा हूं, अध्यक्ष महोदय कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण तथा आतंकवादिक गतिविधियों की वजह से अगर कोई सेबोटेज किया जाता है, अगर हमारे पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में कोई सेबोटेज होता है और वह बन्द हो जाता है तो पूरे बिहार को अंधकार में रहना पड़ेगा । बरौनी में अगर कोई सेबोटेज होता है, अगर बिजली गिर जाती है, जैसा कि न्यूयार्क में एक थर्मल पावर स्टेशन है जहां पर एक बार बिजली गिरने की वजह से शार्ट सर्किट हो गया और पूरा प्लांट बंद हो गया । ऐसी स्थिति में आज जो चीन की पालिसी रही है, हम छोटे-छोटे 50-50 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन बैठावें तो वह ज्यादा सुविधाजनक होगा । कम लागत में शीघ्र चालू हो जायेगा और उसको कोल फिल्ड एरिया के आसपास लगाया जाये । मैं समझता हूं कि चतरा कोल माइन्स से लेकर मधुपुर, धनबाद, हजारी बाग, जहां तक हो सके हमलोगों को 50-50 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बैठाना चाहिये जिससे कि कोल फिल्ड एरिया में बिजली की आपूर्ति होती रहे तथा कोयले का उत्पादन भी अधिक से अधिक हो सके ।

अध्यक्ष महोदय मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि राजस्व की वसूली आज बहुत कम हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ।

कृपया संक्षेप में कहें ।

श्री कृष्णचंद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जितना मैं तैयारी करके आया था उसका दसवां भाग भी नहीं बोल रहा हूं । अगर मैं बकवास करूं तो आप मुझे बैठा दें ।

अध्यक्ष : आप बड़ी अच्छी बातें बोल रहें हैं । लेकिन हम चाहते है कि हर सदस्य को तीन-तीन चार-चार मिनट बोलने का मौका मिले ।

श्री कृष्णचद्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सन् 2000 ई. तक भारतीय रेल अपने स्टील इंजनों को बेकार करने जा रही है । मैंने मंत्री महोदय को विचार विमर्श के क्रम में सजेस्ट किया था कि आप भारतीय रेल के इंजीनियरों से सम्पर्क करें । उनके पास जो बॉयलरस है, उन ब्यालरों को हमलोग हर जिला मुख्यालयों में अनुमंडल मुख्यालयों में बैठावें, जिससे हम 5 मेगावाट बिजली पैदा कर सकें और उसके रख-रखाव का भार भी हम भारतीय रेल के इंजीनियरों को ही दे दें । उसके लिये जेनरेटर की व्यवस्था के लिये भेल से सम्पर्क कर बात करें ।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा सुझाव मैं देना चाहूंगा कि हमारे जो अभी प्लांट लोड फैक्टर 30-35 प्रतिशत है, इसके लिये एक विशेषज्ञों की समिति बनायी जाये । वह समिति यहां के लोगों की नहीं हो । मैं मुख्यमंत्री महोदय, से अनुरोध करूंगा कि वे पश्चिम जर्मनी, जापान आदि विकसित देशों के इंजीनियरों को बुलाकर दिखावें । ऐसा कोई कारण

नहीं है कि अभी हमारे यहां जो प्लांट है, जो मशीनरी है, उनको मोडर्नाइज नहीं कर सकेंगे और उसमें सुधार नहीं कर सकते है ।

इसमें सुधार करके हम तत्काल बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते है और इस संबंध में ग्लोवल टेन्डर करके 50-50 मेगावाट बिजली उत्पादन करने हेतु पावर स्टेशन बैठाने के लिये स्थल चयन करें, स्थल चयन कोल-फिल्ड एरिया में करें और उत्तर बिहार में डिजल सेट बैठायें ताकि हम इमरजेंसी के समय हम पावर ले सकें ताकि हमारे आलू जो कोल्ड स्टोरेज में हैं वे सड़ नहीं सके, हमारा उत्पादन बढ़े सकें, हमारे जो उद्योग है, वे चालू हो सके, इसलिये बिजली अब आवश्यक्ता हो गई है, विलासता की वस्तु अब नहीं रही । इसलिये केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक रकम, अभी जो तीन अरब रूपये का बजट है, उसको बढ़ाकर 10 अरब रुपया करने की व्यवस्था करे, इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : मा. सदस्य श्री दूती पाहन, आप अपना भाषण चार मिनट में समाप्त करेगें ।

श्री दूती पाहन : अध्यक्ष महोदय, सरकार को हम जो पैसे बजट के माध्यम से देने जा रहे हैं, उस पैसे से बिहार में बिजली की व्यवस्था, बिजली की जो अभी की स्थिति है, इसमें सुधार होगी- यह सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता हैं ।

अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड का गठन वर्ष 1958 में हुआ, उस समय से लेकर अब तक बिजली बोर्ड में 26 चैयरमैंन बनाये गये और उन 26 चैयरमैन ने बिजली बोर्ड को सुधार नहीं सकें और आज बिहार की जनता को बिजली की आवश्यकता है, वह नहीं मिल सकी है। हम सभी लोग जानते है कि अर्थ-व्यवस्था में तब ही सुधार हो सकती है जब राज्य की बिजली व्यवस्था ठीक हो। बिजली ऐसी चीज है जिस पर आज कृषि आधारित है, उद्योग आधारित है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1980-81 में बिजली बोर्ड में 3463 पदाधिकारी थे, कामगार की संख्या 37,985 था और यह 1987-88 में बढ़कर पदाधिकारी की संख्या 4541 हो गई है और कामगारों की संख्या 37,214। अर्थात् विद्युत बोर्ड में कामगारों की संख्या पहले से 771 की कमी हुई है। बिजली बोर्ड में 771 कामगारों के पद रिक्त हैं। पद रिक्त रहने की वजह से बिजली की उत्पादन में प्रभाव पड़ता है और बिजली बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ता है।

मैं व्यवहारिक बात करता हूं, मैं बिजली बोर्ड के कार्यालय में गया था, हमारे क्षेत्र के कई गांव हैं जहां कि बिजली है-एक-एक साल हो गये, लेकिन वहां के लोगों को बिजली का बिल नहीं मिला है, मैंने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से इस संबंध में पूछा कि आप बिल क्यों नहीं देते हैं ? तो उन्होंने कहा कि एक प्रखण्ड के लिये एक क्लर्क है, जब कि चार क्लर्क होना चाहिये-चार नहीं तो कम

से कम आप दो क्लर्क तो देते । वहां तीन क्लर्क की कमी रहने के कारण एक-एक साल तक बिजली का बिल नहीं दिया जा सका है । और एक ही बार कई महीनों का बिल यदि एक हजार, डेढ़ हजार तीन हजार का दे देंगे तो वह देने की क्षमता उसके पास नहीं है, तब उसका बिजली का कनेक्शन कटेगा तो ग्रामीण इलिगल कनेक्शन लेगा और इस तरह से भी बिजली बोर्ड को घाटा हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि 771 पद जो रिक्त हैं, उन पदों पर सरकार अविलम्ब बहाली करे और वहां के लोगों को, जिनको बिजली बोर्ड ने विस्थापित किया है, नौकरी के लिये जो आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं, बिजली बोर्ड ने उनके साथ एग्रीमेंट भी किया है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं दी गई है । इसलिए 771 पद जो बिजली बोर्ड के पास रिक्त है, उसे सरकार अविलम्ब भरे....

अब आप स्थान ग्रहण करेंगे ।

श्री दुती पाहन : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा पहला भाषण है, इसलिये समय-सीमा न किया जाय । आपका पहला भाषण बहुत अच्छा हो रहा है । आपका दूसरा भाषण भी बाद में होगा ।

अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड में 529.35 करोड़ रुपये का घपला हुआ है । उस घपला में भारी भरकम रुपया इकट्ठा हुआ है । 1983 से 1988 तक में 395 अरब यूनिट

कृषि कार्य में खपत के लिए 35 पैसे की दर से वसूला गया है परन्तु वूसली न दर्ज कर घाटा दिखाया गया है यह सारा का सारा रुपया गबन कर लिया गया है इसलिए इसकी जांच के लिए एक सदन की समिति बनायी जाय कि लाखों यूनिट के पैसे जो 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से आये वह कहां गया ? दूसरी बात, बिजली बोर्ड को जो पैसा दिया गया है उसमें बंदरबांट हुआ है । रांची में जी.एम. के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जमीन खरीदी गई और फर्स्ट क्लास कार्यालय भवन बनाए गए । लेकिन वहां के जी.एम. उस भवन में बैठना नहीं चाहते हैं और दस हजार रुपए प्रति माह का प्राईवेट मकान ले कर ऑफिस कर रहे हैं । इस प्रकार बिजली बोर्ड का 10 हजार रुपया प्रति माह बर्बाद हो रहा है । इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाय और उक्त जी.एम. जो बिजली बोर्ड का दस हजार रुपया प्रति-माह बर्बाद कर रहे हैं, उनके वेतन से वसूल किया जाय और बिजली बोर्ड का जो भवन बन कर तैयार है उसमें कार्यालय को ले जाया जाय ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार । कृपया अपना भाषण चार मिनट में पूरा करेंगे ।

श्री सतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, विद्युत की जो समस्या है वह पूरे बिहार की है और वह आपके सामने है । आपने समय सीमा बांध रखी है जिसमें उन सारी बातों का जिक्र करना बहुत ही असंभव लगता है ।

अध्यक्ष : मैं समय सीमा बांध नहीं रहा हूं, यह मजबूरी है ।

अध्यक्ष महोदय, मजबूरी का कारण विद्युत संकट है ।

श्री सतीश कुमार : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता को जो कुछ सरकार ने चुनावी वादे किए है, क्या बिहार की जनता उसके पूरा होने की अपेक्षा कर सकती हे । जनता के विकास की आकांक्षाएं बहुत कुछ निर्भर करती है विद्युत आपूर्ति पर, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के विकास के लिए विद्युत आपूत्रि अधिनियम, 1948 के तहत विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन आज जो विद्युत संकट है, हम आंकड़्यों और तथ्यों पर जाते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस की जो 42 वर्षों की जो हुकुमत रही है, राज्य में और केन्द्र में - उसने बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया । अगर ऐसा नहीं होता तो जैसा कि उपलब्ध आंकड़ों से प्रतीत होता है कि भारत में कुल 53503 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता के कारखाने हैं जिनमें बिहार में मात्र 1583 मेगावाट उत्पादन क्षमता के कारखाने हैं । जनसंख्या के हिसाब से बिहार की आबादी हिन्दुस्तान की कुल आबादी का दस प्रतिशत है । परन्तु विद्युत उत्पादन क्षमता के लिहाज से बिहार के पास 3.84 प्रतिशत ही है ।

हम कहना चाहते हैं कि जनता दल की हुकूमत राज्य सरकार में है और केन्द्र सरकार भी जनता दल की ही

है । हम लालू प्रसाद जी की सरकार से कहना चाहते हैं कि केन्द्र में भी आप ही की सरकार है इसलिए जो कारखाने बंद पड़े हैं उसके लिए आप केन्द्र से बड़े पैमाने पर कर लीजिए । अभी 1582 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है हमारे संयंत्र में लेकिन इसमें, मात्र 487 मगावाट उत्पादन होता है । बिजली बोर्ड को प्रतिदिन एभरेज 62 करोड़ रुपया खर्च होता हे और राजस्व की वसूली 30 करोड़ है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब पिछले बजट को देखते हैं तो पाते हैं कि वर्ष 1988-89 में 2 अरब 56 करोड़ 83 लाख 1989-90 में 3 अरब 26 करोड़ 91 लाख एवं 1990-91 में 3 अरब 79 करोड़ रुपया लगाए गए थे । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सही बात यही है आज हम पूरे बिहार में बिजली आपूर्ति के लिए चाहे कृषि के मद में हो, चाहे घरेलू मद में हो, चाहे उद्योग के मद में हो, तो चौदह सौ मेगावाट की आवश्यकता है । हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक हजार मेगावाट की जो कटौती की जा रही है इसके लिए आप केन्द्र से दो हजार रुपए केन्द्र से मांगें । चाहे वह कर्ज के माध्यम से हो, चाहे जैसे भी हो । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो संयत्र खराब हैं, वे और बेकार हो जाएंगे । और यदि इसके नहीं बनायेंगे तो बिजली की आपूर्ति नहीं कर पायेंगे । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 3.79 करोड़ की रकम के माध्यम से जो

आप विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं वह बहुत कम रकम है । कम से कम बीस अरब रुपए खर्च करके ही इसमें वांछित सुधार ला सकते हैं । और फिर केन्द्र में भी आप ही की सरकार है ।

हम कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से, जो उत्पादन बिजली का किया जाता है, उसमें जल विद्युत बहुत ही सस्ता पड़ता है लेकिन बिहार में क्या है, आज मात्र 2.77 प्रतिशत जो देश के पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन हो रहा है, उसका मात्र 2.77 प्रतिशत बिहार में जल विद्युत उत्पादित होता है । जल विद्युत बहुत सस्ता पड़ता है अन्य श्रोतों के मुकाबले । अब मैं अन्तिम बात अपने क्षेत्र सूर्यगढ़ा के बारे में कहना चाहता हूं । 300 गांवों में विद्युतिकरण के बारे में घोषणा की गयी थी, लेकिन मात्र 98 गांवों में विद्युतिकरण हुआ है, उसमें भी दो दर्जन ऐसे गांव हैं, जिनमें कहीं ट्रान्सफर्मर हैं, तो कहीं खंभा नहीं है, कहीं खंभा है, तो तार नहीं है, और जब सब है, तो सब स्टेशन नहीं है । इसलिए सूर्यगढ़ा में ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण करवाया जाय और जिन गांवों में ट्रान्सफर्मर के चलते बिजली बाधित है, वहां पर ट्रान्सफर्मर की व्यवस्था की जाय ।

श्री टेक लाल महतो : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली की बहुत किल्लत उठानी पड़ रही है और यह जिनका कुकर्म था, वे आज सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, इनके चलते आज हमलोग बहुत फज्जत में पड़े हुए हैं । कांग्रेस के शासनकाल

में कागज पतर में जो बिजली का उत्पादन दिखलाया गया है, उसको कहीं भी आप जाकर देखिये, सर जमीन पर आप जाकर देखिये, जिस गांव का विद्युतिकरण दिखाया गया है, वहां एक काम नहीं हुआ है, कहीं ट्रान्सफार्मर हैं, तो तार नहीं और तार है, तो ट्रान्सफर्मर नहीं । इसके बावजूद भी देखा जाय, कागज पतर में कांग्रेस के शासनकाल में जो काम किया गया है, वह भी बहुत कम है । अध्यक्ष महोदय, मेरे पास छोटानागरपुर और संथालपरगना का आंकड़ा है । जिस छोटानागरपुर और संथालपरगना में जो कुल उत्पादन बिजली का है, उसमें 60 प्रतिशत बिजली छोटानागपुर और संथालपरगना में उत्पादन किया जाता है, उसके बावूजद भी आज संथालपरगना जंहा 10 हजार 25 गांव हैं, उसको कागज पत्तर में एक हजार 500 गांवों का विद्युतिकरण किया गया है । हजारीबाग में जहां 3 हजार 570 गांव है, उसमें 873 गांव का विद्युतिकरण दिखाया गया है, गिरिडीह में 2561 गांवों में 503 गांवों में विद्युतिकरण किया गया है, रांची में 3836 गांवों में 965 गांवों में विद्युतिकरण किया गया है, पलामू जिला में 3218 में 773 गांवों में विद्युतिकरण कागज पत्तर में दिखाया गया है, धनबाद में 1365 गांवों में 644 गांवों का विद्युतिकरण कागज पत्तर में दिखाया गया है, सिंहभूम में 4626 गांवों में 736 गांवों का विद्युतिकरण का कागज पत्तर में दिखाया गया है । अध्यक्ष महोदय, आज देखा जा सकता है, कांग्रेस के जमाने में कागज पत्तर में बिहार में 63 प्रतिशत विद्युतिकरण गांवों में हुआ है, वहीं आन्ध्रप्रदेश में 98 प्रतिशत गांवों में

विद्युतिकरण हुआ है, कर्नाटक में 97 प्रतिशत गांवों में विद्युतिकरण हो गया है । उसी तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचलप्रदेश में 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण हो गया है । लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में देखिये उत्तर बिहार में एक से एक नदियां हैं और छोटानागपुर और संथालपरगना में भी एक से एक नदियां हैं, जिसको हम बिजली उत्पादन के काम में ला सकते हैं और इन नदियों से हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं तथा 100 प्रतिशत गांवों का हम विद्युतिकरण कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेसी शासन के चलते आज हमलोग कुछ नहीं कर पाये हैं ? और आज वे ही हल्ला कर रहे हैं कि जनता दल की सरकार ने कुछ नहीं किया जबकि जनता दल सरकार के आये अभी जुम्मा-जुम्मा 8 ही दिन हुआ है लेकिन आज उनके विरूद्ध हर जगह षड्यंत्र रचा जा रहा है । सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि जो बिजली बोर्ड का पैसा डी.वी.सी. पर 225 करोड़ रुपया बांकी है कांग्रेसी शासन के समय का जिसके कारण आज संथाल परगना का बिजली बाधित है अगर वह 215 करोड़ रुपया विद्युत बोर्ड को दे दिया जाय तो संथाल परगना के आदिवासी क्षेत्र का विकास हो जायेगा और वह बिजली से जगमगा जायेगा । एक और सुझाव देना चाहूंगा कि ललमटिया में इ.सी.एल. को 80 मेगावाट बिजली फरक्का से मिल रहा है जबकि प्रोजेक्ट को 10 मेगावाट बिजली की जरूरत है और इस तरह से 70 मेगावाट बिजली सरप्लस है ।

यह सबौर और कहलगांव ग्रीड से लिया जा सकता है । 100 मेगावाट बिजली सिंगरौली से मिल सकती है । जिसे डाल्टेनगंज से खंभा गाड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं । मगर इसके लिए पैसा इ.सी.एल. देने के लिए तैयार नहीं है । इस तरह से हमको दो सौ मेगावाट बिजली मिल जायेगी । अगर सरकार की मंशा साफ है और हमारे ऊर्जा मंत्री जगदानंद बाबू और हमारे मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी सदन में मौजूद हैं उनको कहूंगा कि बिजली संबंधी कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न करायें । अभी माननीय सदस्य श्री ज्ञानेश्वर यादव जी ने कहा कि आज बिहार की 7 करोड़ जनता के मुंह पर बिजली के चलते ताला लग गया परन्तु यह षड्यंत्र उनके द्वारा कराया हुआ है जो आज सदन में बिजली के लिए हल्ला कर रहे थे । अध्यक्ष महोदय, विद्युत बोर्ड में हंगामा है, हर जगह घूसखोरी कायम है । अध्यक्ष महोदय, हमारे माण्डू कंस्टीच्यूएन्सी में विशुणगढ प्रखंड में 140 गांव हैं, जबकि कांग्रेसी शासन में 6 गांव में ही विद्युतिकरण किया गया है जिसे कागज पत्र में दिखलाया गया है परन्तु इसमें भी किसी गांव में खंभा है तो तार नहीं और तार है तो खंभा नहीं और कहीं ट्रान्सफार्मर नहीं है उसके बावजूद कांग्रेसी शासन में 140 गांवों में कागजपत्र में 6 गांव में विद्युतिकरण दिखला दिया गया । मांडू में चुर्चु में क्रमशः 85 एवं 79 गांव है जबकि 13 और 7 गांव में विद्युतिकरण हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां की धरती पर बोकारो थर्मल, पतरातू थर्मल और चन्द्रपुरा थर्मल का पावर हाउस है लेकिन आज

उस क्षेत्र में बिजली की किल्लत है । लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं । इन स्कीमों के चलते बहुत से लोग डिसप्लेस्ट हुए थे जिनके बारे में सरकार की घोषणा थी कि विस्थापित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जायेगी लेकिन आजतक नौकरी नहीं दी गयी । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी छानबीन कर पता लगाया जाय कि पतरातू थर्मल के लिए जिनकी जमीन ली गयी थी उनलोगों को नौकरी मिली कि नहीं । इसके लिए डी.सी. हजारीबाग को चेयरमैन बनाया गया था । मैं चाहूंगा कि सरकार अविलम्ब इसके बारे में छानबीन करावे और जो विस्थापित लोग हैं उनके परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें ।

श्री वासुदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, 3 अरब 79 करोड़ रुपये की जो मांग सदन में रखी गयी है उसका समर्थन करते हुए कहना है कि ऊर्जा की कोई कमी मैं नहीं समझता था लेकिन आज उसका अभाव नजर आया जिसके बारे में कांग्रेसी सदस्य सदन में हल्ला गुल्ला किए और सदन से वाक आउट कर गए ओर उनको यह धैर्य नहीं रहा कि इस डिमांड पर हम कुछ वोलें लेकिन वे बिना बोले ही सदन से चले गए । यह सवाल राष्ट्रीय स्तर का है । आज 1 लाख मेगावाट देश को बिजली की जरूरत है जबकि मात्र 64 हजार मेगावाट राष्ट्रीय स्तर पर बिजली का उत्पादन हो पाता है । बिहार में बिजली उत्पादन की क्षमता 1554 मेगावाट की है परन्तु 415 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो पाता है ।

सबसे आश्चर्य की बात है कि आज बिजली की आवश्यकता जन्म से लेकर मरन तक होती है । आज दाह संस्कार भी विद्युत के माध्यम से ही हुआ करता है । मेरा कहना है कि बिजली की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए, बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 4 अरब रुपये लगभग की जो मांग रखी गयी है उससे और अधिक बढ़ाकर मांग रखनी चाहिए थी । लेकिन कठिनाई क्या है ? सबसे बड़ी कठिनाई है-उर्जा मंत्री को मालूम होगा क्योंकि वे अनुभवी व्यक्ति हैं संपूर्ण बिहार में पहले क्या होता आया है । वास्तव में देश के प्रधान मंत्री तथा अनेकों मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ कागज पर ही करोड़ों अरबो रुपयो खर्च दिखाया और जमीन पर कोई काम नहीं किया । कागज में ही 42 प्रतिशत या 50 प्रशितात बिजलीकरण ग्रामीण इलाकों में दिखलाया गया है लेकिन स्थिति यह है कि कहीं बिजली नहीं जल रही है । कहीं पोल है तो ट्रांसफारमर नहीं है, पोल तार और ट्रांसफारमर लगा हुआ है लेकिन उसमें तार कटे हुये हैं । आज सदन में, बिजली दो घंटे के लिये चली गयी जिसको सदन के सभी माननीय सदस्यों ने देखा वहीं हालत पूरे बिहार की बिजली के मामले में हैं । मैं सरकार को दोष नहीं देता, सरकार का दोष नहीं मानता । मैं मानता हूं कि वर्षों वर्ष से राज्य की स्थिति बिजली के मामले में ऐसी बना दी गयी है जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है । मैं माननीय मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुये कहना चाहता हूं कि वे बराबर हाऊस में कहा करते हैं कि दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त

कार्रवाई करूंगा । लेकिन उसका असर दिनोदिन पदाधिकारियों के बीच घटता जा रहा है । बिजली के अभाव में क्या शहर क्या दिहात सभी जगह विद्यार्थियों का पठन पाठन में बाधा पहुंच रही है । पटना की जब ऐसी हालत है तो दिहातों में क्या स्थिति होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है । दिहातों में सिंचाई और कृषि का संबंध बिजली से है । इसलिये मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी ऊर्जा को समेटकर बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिये आगे बढ़ें । इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***श्री कृष्णदेव सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर बिजली का संकट पहले भी था लेकिन खास तौर पर बिजली का संकट अभी बढ़ गया है । मैं समझता हूं बिजली का संकट का समाधान सरकार को बिजली नीति में तलाशना चाहिये । बिजली नीति ही गलत है । आज सदन में दो घंटे के लिये बिजली चली गयी । सी.पी.आई. के लोगों का कहना है कि यह कांग्रेस की साजिश है । मैं भी इस बात को मानता हूं । लेकिन जनता दल की सरकार हर समस्या को कांग्रेस की साजिश कहकर नहीं टाल सकती । जनता दल के हाथों में संपूर्ण सत्ता है जो खामियां हैं उसे दूर करे औरं बिजली की हालत में सुधार लावे । बिजली की समस्या बहुत पहले से है । लेकिन मुख्यमंत्री बार-बार कहा करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा । लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि कार्रवाई का रूप क्या होगा ? बिजली विभाग में

काफी भ्रष्टाचार है । बिजली में जो भ्रष्टाचार है उसके कारण भी तबाही है । जनता दल की सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की प्राथमिकता देंगे । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी किसानों को बिजली मिल ही नहीं रही है । आम बिजली उपभोक्ताओं को पोल, तार एवं ट्रांसफारमर तथा कनेक्शन लेने में घूस देना पड़ता है । मैं हिलसा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं । वहां भी बिजली की वही स्थिति है । हिलास के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बिजली नहीं मिलती है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार नौकरशाही पर नियंत्रण करे । सरकार का नौकरशाही पर नियंत्रण होना चाहिये । नौकशाही का जनवादीकरण किया जाय । नौकरशाही के बड़े-बड़े पदाधिकारी सरकार पर हावी हैं, मंत्री पर हावी हैं और जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, सरकार चाहकर भी बिजली मुहैया नहीं कर सकती है ।

माननीय सदस्य, अब आप कृपया बैठ जायं ।

श्री कृष्ण देव सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि जनता दल सरकार कहती है कि हम आम जनता के सरकार हैं। बड़े लोगों की, पूंजीपतियों की सामन्तों की सरकार नहीं हैं । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिजली का जितना उत्पादन होता है उसमें बिहार के जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्री हैं वहां बिजली की पूरी गारंटी है वहां बिजल नहीं कटती लेकिन किसानों के लिये,

आम बिजली उपभोक्ताओं के लिये जो मध्यम श्रेणी के होते हैं उनको बिजली की कोई गारंटी नहीं है । इसी से पता चलता है कि आम जनता की सरकार है, कि बिहार के मुट्ठी भर पूंजीपतियों और सामंती की यह सरकार है बिजली मुहैया कराने के संबंध में ।

माननीय सदस्य कृपया अब बैठ जायं । माननीय मंत्री का जवाब होगा ।

श्री राजकुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों को बोलने का मौका नहीं मिला ।

श्री ज्ञानेश्वर यादव : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जमाने से ऐसे भ्रष्ट अफसर बैठे हुये हैं जिससे बिजली संकट बनी हुयी है, तो क्या इसकी जांच कर मुख्यमंत्री दोषी अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

श्री जगदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार की सबसे बड़ी समस्या बिजली की है और इसी के चलते हमारी सरकार ने निर्णय किया था कि इस बार ऊर्जा पर बहस हो और ....

श्री राजकुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा । ऊर्जा मंत्री जी से एक बात की जानकारी चाहूंगा कि क्या बिजली बोर्ड जिसे शुरू में व्हाइट एलीफैंट कहा जा रहा है उसको समाप्त करने की दिशा में सरकार कुछ कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री जगदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय लिया था कि ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस हो, पक्ष-विपक्ष की एक राय बने और इस बिहार को खुशहाली के रास्ते पर ले चलने के लिए रास्ता तय किया जाय । इसीजिए ऊर्जा विभाग पर अलग ये स्वतंत्र रूप से बहस के लिए सरकार ने फैसला किया था । मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वर्षों से इस पर बिहार विधान सभा में बहस नहीं हुआ है । विद्युत के लिए पैसे दिये जात रहे हैं इस हाउस में, लेकिन हिसाब-किताब माननीय सदस्यों ने नहीं किया बहस के माध्यम से । लेकिन हम इसके लिए तैयार थे । अभी माननीय सदस्यगण बता रहे थे कि बिहार को दुर्गति और अवनति की ओर से जानेवाले विपक्ष के लोग आज सदन छोड़कर भाग चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यदि ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज यदि बहस होती तो आज बिहार के साढ़े आठ करोड़ जनता को उन कारणों की जानकारी होती जिनके चलते आज बिहार में विद्युत संकट है, बिजली नहीं मिल रही है । महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ यहां हो रहा है, बिजली गायब हो रही है वह एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है । लगातार जब से सदन शुरू हुआ है कभी एक घंटा कभी दस मिनट, कभी दो मिनट के लिए बिजली गायब होती गयी । यह कोई साधारण बात नहीं है । यह बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है । अध्यक्ष महोदय, मैं

उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि जब दुर्योधन भीम की गदा से गिरा हुआ था, और जमीन पर लेटा हुआ था और जब उसे उठने की क्षमता नहीं थी, वह जानता था कि वह महाभारत हार चुका है उसके बावजूद भी उसके मन में कपट और षड्यंत्र था। जब अश्वधामा आता है तो दुर्योधन अश्वधामा के माथे पर खून का तिलक लगाते हुए उसे सेनापति नियुक्त करता है और कहता है कि जाओ और सोये हुए पांडवों के सर काट कर मेरे पास लाओ तभी मैं अपने प्राण त्यागूंगा। इस प्रकार दुर्योधन पूरे महाभारत की दिशा ही बदल देना चाहता था। अश्वधामा सेनापति बनकर पांडवों के वंश को समाप्त करने का कार्य करता है।

आज यहां जमीन पर लेटे हुए कौरव, दुर्योधन पूरे बिहार की आबादी की आजादी को खराब करने, खत्म करने का काम कर रहे हैं। आज दुर्योधन भागा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है लेकिन उसका आश्वथामा पूरी आबादी के भविष्य को नष्ट करने पर तुला हुआ है, उसी का परिणाम यह है कि एक-एक षड्यंत्र सफल हो रहा है लेकिन जब तक कृष्ण इस धरती पर है तब तक इस अंश्वथामा का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। जब महाभारत समाप्त हुआ तब दुर्योधन की सम्पूर्ण वंश परम्परा की समाप्ति के साथ हुआ। वही यहीं भी होगा।

महोदय, लेकिन जब युद्ध होते हैं तो परिणाम दोनों पक्षों के लिए घातक होते हैं।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मंत्री महोदय ने महाभारत की कहानी हमलोगों को सुनायी इसके लिए उनको धन्यवाद लेकिन हम मंत्री महोदय से यह पूछना चाहते है । कल मरने के पहले भीष्म पिताम्ह ने क्या कहा था । यह मालूम है ? उन्होंने कहा था कि किसी भी राजा को पिछले राजा की विफलता पर बात करके अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए ।

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, मैं जानता था । इसी विषय पर मैं आ भी रहा था । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं राजा के अंतिम समापन में उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि जमीन पर लेटा हुआ दुर्योधन षड्यंत्र कर रहा है, जबतक वह अंतिम रूप से समाप्त नहीं होगा । जनता का अंतिम हमला कांग्रेस पर होनेवाला है और कांग्रेस अंतिम रूप से समाप्त हो जायेगी । इस देश में, सूबे में, एक नया राज्य बनाकर जनता की भलाई करेंगे, लेकिन क्या हम इसके बारे में, षड्यंत्रों की तरफ जनता के दिमाग को नहीं ले जायं ? पिछली सरकार ने जो स्थिति पैदा कर दी थी, वह आपके सामने हैं, क्या हालत बिहार की बना दी है ।

महोदय, मैं मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूं, जो कुछ आज हो रहा है, उसी के परिणामस्वरूप हो रहा है । 1988-89 में 45.39 करोड़ यूनिट का उत्पादन हुआ था, 1989-90 में 39.25 करोड़ विद्युत का उत्पादन हुआ । आप

समझ लीजिये कि करीब-करीब 25 परसेंट हमारी और प्रांतों से पैदा करने की क्षमता में गिरावट आ गयी थी, हमारा जबकि टारगेट था 49.18 करोड़ यूनिट का और उत्पादन हुआ 39.25 करोड़ का ।

महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बिहार को बिज़ली चाहिये लेकिन हमारे विभाग और कैपेसिटी और उसका उत्पादन इसके आड़े आ रहा है । अब हमारे विनायक बाबू चाहते हैं कि पूरे बिहार को बिजली दे दी जाय, लेकिन बिजली एक दिन में पैदा नहीं होती है । हम व्यवस्था को सुधार करके, ऐसा कर सकते हैं । जब यह सरकार आयी थी तो 250 मेगावाट का उत्पादन हो रहा था, आज हम 350 से 400 मेगावाट का उत्पादन कर रहे हैं । आज हमारा पूरा हाईडल प्रोजेक्ट 120 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है लेकिन एन.टी.पी.सी. और बी.टी.पी.सी. को केन्द्र से 150 मेगावाट मिलना चाहिये जो 60-70 मेगवाट से ज्यादा नहीं दे रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यदि इन षड्यंत्रों का जिम्मा हम ले लेते हैं तो क्या पांच साल में हमारी नयी यूनिट आ जायेगी ? सातवीं योजना में एक मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता पैदा नहीं की गयी, इस बिहार में । आखिर कौन जिम्मेवार है ? पूरे पांच वर्षों तक एक भी मेगावाट उत्पादन की क्षमता इस बिहार की नहीं रही, और जब आज हम यहां खड़े हैं, मैं महोदय, आपके माध्यम से बिहार की जनता और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि, आठवीं

योजना में भी एक भी मेगावाट बिजली स्टार्ट कैपेसिटी की अनुमति नहीं मिली है, केन्द्र सरकार से । पूरे दस वर्षों तक हमारे बिजली उत्पादन की क्षमता उसी तरह रहे और डिमांड बढ़ता जाय, तो हमने केन्द्र सरकार को कहा है कि आज बिहार को जरूरत है 2400 मेगावाट की और हमारे पास स्टार्ट कैपेसिटी है मात्र 1300 मेगावाट की । इसी तरह से 450 मेगावाट की मशीनें वर्षों से खराब है । 880 मेगावाट की मशीनें हैं और हम 400 के आसपास उत्पादन कर रहे हैं । यदि 850 की बात की जाय तो हमारा उत्पादन 50 परसेंट है, लेकिन यह हमलोगों का कार्य नहीं है कि 1350 मेगावाट के अग्र एगेंस्ट में इतना हो रहा है । 250 मेगावाट से उत्पादन लेकर हमने 450 मेगावाट किया है, यह हमारा ही किया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय, एक पैसा कभी भी नये थरमल के लिये कोई योजना में, जब इनकी सरकार थी, कोई नयीं मशीन लगाने के लिये पैसा नहीं दिला सकी, लेकिन जब से जनता दल और लालू बाबू की सरकार आयी, हमलोग सेंटर तक चले गये । हमें 1000 मेगावाट के लिये दिल्ली की तरफ से सिगनल मिल चुका है कि बढ़ेगा । मुजफ्फरपुर में 500 मेगावाट की यूनिट लगेगी, हमने प्रोजक्ट को सबमिट कर दिया है, मिहनत करके ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो हाईडल प्रोजेक्ट है, जो एक जरूरत है, उसके एक्सटेंसन के लिये कहा है और हमें

आश्वासन मिला है कि उसको स्वीकृति दी जायेगी । जो 1000 मेगाबाट पैदा करने वाली हमारी मशीन लगनी चाहिये तो वह पैसा भी दिल्ली से मिलने की उम्मीद नहीं थी । बिहार को बिजली मिलनी चाहिये । कोई भी इन्सान बिना बिजली के नहीं रह सकता है । हमारे कल कारखाने नही चल सकते हैं हमारे किसान मित्र भाई बिना बिजली के पम्पों को चला नहीं सकते है बिजली के सम्बन्ध में जो भी गैप बिहार में रह गया है उसको भरना होगा और हम इस देश के पूंजीपतियों को कहते है कि बिहार की सीमा में आईये, कानून और व्यवस्था आपके पक्ष में है । हम सारी सुविधा आपको मुहैया करना चाहते हैं हमारी बिहार की आबादी की भलाई इसी में है, हम इस तरह से भी जनता की भलाई करना चाहते है ।

श्री जगदानन्द : क्यों बुलाया जाता है पूजीपतियों को, यह निर्णय करना पड़ेगा । यह कोई बादशाह का खजाना नहीं है बल्कि बिहार की जनता का खजाना है और आज हम बिहार की जनता के लिए खड़े हैं ताकि अभी जो हमारी जरूरत है वह इस गैप को भरे । हम पूंजीपतियों को बुलाना नहीं चाहते है बल्कि बिहार की जनता को बिजली बनाकर देना चाहते है तो प्रतिक्रियाबादी हैं, समाजवाद खतरे में पड़ जाता है और हमारे बिहार को बिजली चाहिए । आज जो कुछ हो रहा है उससे हम नीचे जा रहे है आज की घटना की सबको जानकारी होनी चाहिए । चारों तरफ से ठीक था

लेकिन इस हाउस के अन्दर और बाहर एक प्वायंट को बन्द कर दिया गया और षड्यंत्र के रूप में सदन में बिजली नहीं चलने दिया गया । भीतर के आदमी और बाहर के आदमी एक ही सिक्के के दो पहलू थे । सिंचाई विभाग का इंजीनियर था जो इस षड्यंत्र में शामिल था । हम उसे बक्सेंगे नहीं । इससे हमारी आवाज बन्द नहीं होनेवाली है बिहार के हित के लिये । बिहार का हित सर्वोपरि है और जो भी बिहार के हित में बाधक होगा उसको हम ठप्प कर देंगे, बन्द कर देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजो सिंह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेंगे ।

(माननीय सदस्य श्री राजो सिंह अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय ।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 1991 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 3,79,08,50,000 (तीन अरब, उनासी करोड़, आठ लाख पचास हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाय । यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । यह मांग स्वीकृत हुई ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तिथि 9 जुलाई, 1990 की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सदन की सहमति हो ।'

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'तिथि 9 जुलाई, 1990 की कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।'

समिति के निम्न सिफारिशें की हैं :

1. शनिवार, सोमवार तथा मंगलवार दिनांक 14, 23 एवं 24 जुलाई, 1990 को सभा की बैठक नहीं हो,
2. वृहस्पतिवार दिनांक 12 जुलाई, 1990 को यथानिर्धारित खंड-7 से सम्बन्ध अनुदानों की मांग सहकारिता, डेयरी विकास तथा मत्स्य उद्योग के बदले खंड-दो में प्रस्तावित अनुदानों की मांगे भू-राजस्व एवं अन्य लिये जायं ।
3. सोमवार दिनांक 16 जुलाई, 1990 को यथा निर्धारित खंड-9 से संबद्ध अनुदानों की मांग जलापूर्ति, सफाई तथा लोक स्वाथ्य के बदले खंड-14 में प्रस्तावित अनुदानों की मांगे पुलिस-प्रशासनिक सेवायें तथा अन्य लिये जायं ।
4. मंगलवार एवं बुधवार दिनांक 24 तथा 25 जुलाई, 1990 को यथा निर्धारित खंड-15 से संबद्ध

अनुदानों की मांगे मंत्रिपरिषद्-निर्वाचन तथा अन्य अब मात्र 25 जुलाई, 1990 को लिये जाय ।

5. मंगलवार दिनांक 10 जुलाई, 1990 को वित्तीय कार्य के बाद 5 बजे अप० से 7 बजे अप. तक पटना शहर एवं आसपास के गांवों में हैजा तथा गन्दगी से उत्पन्न स्थिति पर सदन में विचार हो,

6. मंगलवार दिनांक 17 जुलाई, 1990 को वित्तीय कार्य के बाद 5 बजे अप. से 7 बजे अप. तक भागलपुर एवं अन्य जगहों में रात से सम्बन्धित विषयों पर सदन में विचार हो,

7. मंगलवार दिनांक 31 जुलाई, 1990 को विधायी कार्य के बाद 4 बजे अप. से 6 बजे अप. तक छोटानागपुर एवं संथालपरगना में झारखंड आन्दोलन से उत्पन्न समस्याओं पर सदन में विचार हो,

8. मंगलवार दिनांक 7 अगस्त, 1990 को विधायी कार्य के बाद 4 बजे अप. से 6 अप. तक मूल्य-वृद्धि से संबंद्ध विषयों पर विचार हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । सभा की सहमति हुई ।

लोकमहत्व के विषयों पर अत्यावश्यक ध्यानाकर्षण-सूचनायें एवं उनपर सरकारी वक्तव्य :

सर्वश्री रामाश्रय, सिंह, राजेन्द्र सिंह एवं रामदेव वर्मा, स.वि.स. की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार (गृह आरक्षी विभाग) की ओर से वक्तव्य ।